रजिस्ट्री सं. डी एल—33001/96 REGISTERED No. DL—33001/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 46] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 16, 1996 (कार्तिक 25, 1918)
No. 46] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 16, 1996 (KARTIKA 25, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग II—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

[विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं।]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुम्बई-400 005, दिनांक 23 अक्तूबर 1996

सं. 338/08.21.001/96—भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम 23) की धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने श्री एस. एस. तारमोर के स्थान पर भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा. वाई. वी. रेड्डी को 23 अक्तूबर 1996 से भारतीय स्टेट बैंक के निदेशक के रूप में मनोनीत किया है।

एस. पी. तलवार
उप गवर्नर

शहरी बैंक विभाग

मुम्बई-400 018, दिनांक 24 सितम्बर 1996

सं. बी. आर. 141/16.05.00/96-97—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के अनुसरण में भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निम्नलिखित बैंकों को दिनांक 26 अक्तूबर 1996 से उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में शामिल करने का निदेश देता है :

1. ठाणे जनता सहकारी बैंक लि., ठाणे
2. गोवा अर्बन को-आपरेटिव बैंक लि., गोवा
3. डोंबिवली नागरी सहकारी बैंक लि., डोंबिवली
4. सिटिजन को-आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई
5. ग्रेटर बाम्बे को-आपरेटिव बैंक लि., मुम्बई
6. ए. पी. महेश को-आपरेटिव अर्बन बैंक लि., हैदराबाद

एस. ए. हुसैन
कार्यपालक निदेशक

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग

मुम्बई-400 005, दिनांक 19 अक्तूबर 1996

सं. बी. सी. 140/12.01.001/96-97—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उप धारा (1) के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और 1 जुलाई 1996 की अपनी अधिसूचना बैंपविवि. सं. बीसी. 87/12.01.001/96-97 का अधिक्रमण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक इसके द्वारा यह विनिर्दिष्ट करता है कि अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) रखा जानेवाला असिंत प्रारक्षित नकदी निधि अनुपात नीचे उल्लिखित प्रभावी तारीखों से उनके सामने बताए गए प्रतिशत अंक होगा :

प्रभावी तारीख (अर्थात् पखवाड़ा प्रारंभ होने की तारीख)	शुद्ध मांग और मीयादी देयताओं पर प्रा.न.नि. अनुपात (प्रतिशत)
26 अक्तूबर 1996	11.5
9 नवम्बर 1996	11.0
4 जनवरी 1997	10.5
18 जनवरी 1997	10.0

जे. आर. प्रभु
कार्यपालक निदेशक

सरकारी और बैंक लेखा विभाग

बम्बई, दिनांक 16 नवम्बर 1996

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1946 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं. एफ. (8) 70/बी/52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी 1990 के असाधारण राजपत्र सं. 67 के अंतर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 18 के अनुसरण में 30 जून 1996 को समाप्त माह के लिए निम्नलिखित सूची दी गयी आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके संबंध में इस बात का विश्वास करने के लिए प्रथम-दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गई है और आवेदकों का दावा न्यायोचित है । नीचे लिखे गए संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, बम्बई को संसूचित करें । सूची दो भागों में विभाजित की गयी है । भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई है और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गयी है ।

सूची "क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/प्रत्य	नाम से जारी की गई	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लीकेट जारी करने/भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) का/के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
कानपुर सर्किल					
7½ प्रतिशत सरकार ऋण 2010					
के०एन० 000400	25000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	12-11-81	ग्रेच्युटी फंड ऑफ हिन्दुस्तान केमिकल्स लि०	फाइल सं० एल एन जी 237 उप महाप्रबन्धक आदेश सं० आई आर० 4528/61 दिनांक 20-6-96
के०एन०-000401	5000-	भारतीय रिजर्व बैंक	चौथी छमाही से ब्याज देय	वही	वही

1	2	3	4	5	6
		6½ प्रतिशत सरकार ऋण 2007			
के०एन०-000212	5000/-	आंध्र बैंक	तीसरी छमाही से ब्याज देय	हिम्म केमिकल्स लि० एम्प्लाइज प्राविडेंट फंड ट्रस्ट	फाइल सं० एम० एन०जी० 242 उप महा प्रबंधक आदेश सं० आई० आर० 1530/61 दिनांक 20-6-96
		7.5 प्रतिशत ऋ०प 2010			
के०एन०-000359	14000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	चौथी छमाही से ब्याज देय	—वही—	—वही—

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ग्राम	निम्न नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/तथा भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदारों/रों का/के नाम	आदेश सं० एवं लोक ऋण अधिनियम 1994 के अंतर्गत सूची की तारीख के प्रकाशन की तारीख जिसमें प्रतिभूति पहली बार प्रकाशित की गई थी	
1	2	3	4	5	6	7
		भायखला सर्किल				
		9 प्रतिशत राहत पत्र 1987				
बीसी 10564	रु० 25000/--	श्रीमती होमाय एम० बिलीमोरिया	8-10-90	श्रीमती होमाय एम० बिलीमोरिया		06.25.12
						31-5-96
		अहमदाबाद सर्किल				
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बॉंड, 1980 श्रेणी "ए"				
ए डी-004927	100 ग्राम	नरेन्द्र नवीनचन्द्र	26-10-79	संजीव रमेश चोकसी	खोया हुआ मामला सं० एस एन/एस०/76 मुख्य महा प्रबन्धक के दिनांक 16-3-96 के आदेश एवं केन्द्रीय कार्यालय के दिनांक 18-3-96 की डायरी सं० 243-ए	
		मद्रास सर्किल				
		3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण 1946				
एम० एन० 025194	रु० 200/--	जिला शिक्षा अधिकारी तिरुवल्लूर	15-3-77	जिला शिक्षा अधिकारी, तिरुवल्लूर	महा प्रबन्धक डायरी सं० 51 दिनांक 11-4-96 एल एन 2640	
		मुम्बई सर्किल				
		राष्ट्रीय रक्षा स्वर्ण बांड 1980 "ख" शृंखला				
बी०आई० 032624	17 ग्राम	श्री मोहन सिंह हरपाल सिंह सेंगरा	पूरे ब्याज की अदायगी की गई है।	श्री मोहन सिंह हरपाल सिंह सेंगरा	मामला सं० 20-4-1975 महा प्रबन्धक के दिनांक 9-4-96 के आदेश तथा केका डायरी सं० 633 दिनांक 10-4-96	

1	2	3	4	5	6
		10.25 प्रतिशत ऋण 2012			
बी० बाई० 000915	59,500/--	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	1-6-85	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि०	मामला सं० 20-4-97 महा प्रबन्धक के दिनांक 16-4-96 के आदेश तथा केका डायरी सं० 652 दिनांक 17-4-96
		11.5 प्रतिशत ऋण 2015			
बी० बाई० 004156	4,00,000/--	सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया	21-11-87	अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि०	मामला सं० 20-4-97 महाप्रबन्धक के दिनांक 16-4-96 के आदेश तथा केका डायरी सं० 652 दिनांक 17-4-96
बी० बाई० 004157	4,00,000/--	वही	वही	वही	

डी० सा० पाडलकर,
कृते मुख्य महा प्रबन्धक

भारत सरकार के राजपत्र में 20 अप्रैल 1916 को प्रकाशित तथा 29 अप्रैल 1954 की अधिसूचना सं० एफ० (8) 70/बी/52 और भारत सरकार के दिनांक 21 फरवरी 1990 के असाधारण राजपत्र सं० 67 के अन्तर्गत यथा संशोधित लोक ऋण अधिनियम 1944 की धारा 28 के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के नियम 18 के अनुसरण में जुलाई 1996 को समाप्त माह के लिये निम्नलिखित सूची खो गई आदि ऐसी प्रतिभूतियों के बारे में एतद्द्वारा विज्ञापित की जाती है, जिसके सम्बन्ध में इस बात का निश्चय करने केलिये प्रथम दृष्टया आधार मौजूद है कि प्रतिभूतियां खो गई है और आवेदकों का दावा न्यायोचित है । नीचे लिखे गये संबंधित दावेदारों से इतर सभी व्यक्ति जिनका इन प्रतिभूतियों पर किसी प्रकार का दावा हो, तत्काल मुख्य लेखाकार, भारतीय रिजर्व बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, सरकारी और बैंक लेखा विभाग, केन्द्रीय ऋण प्रभाग, बम्बई को संसूचित करें । सूची दो भागों में विभाजित की गई है। भाग "क" में अभी पहली बार विज्ञापित प्रतिभूतियां शामिल की गई है और भाग "ख" में पूर्व विज्ञापित प्रतिभूतियों की सूची दी गई है।

सूची "क"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु० / ग्राम	नाम से जारी की गई	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने / भुगतान मूल्य की अदायगी के लिए दावेदार (रों) के नाम	जारी किये गये आदेश की सं० तथा तारीख
1	2	3	4	5	6
		राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बांड 1980 "अ" श्रेणी			
		नई दिल्ली सर्किल			
डीएच-009881	58 ग्राम स्वर्ण	चमन लाल	27-10-67	राजकुमार अग्रवाल	24-6-96 ल० सं० 20/80/95-96
		राष्ट्रीय सुरक्षा स्वर्ण बांड 1980 "ब" श्रेणी (नई दिल्ली सर्किल)			
डी० एच०-002774	3 ग्राम स्वर्ण	सुदर्शन अरोड़ा	26-10-66	जोगिन्दर लाल कपूर	24-6-96 ल० न० 6/95
		3 प्रतिशत परिवर्तन ऋण 1946 (कलकत्ता सर्किल)			
सी०ए०-377529	रु० 2000/-	प्रभात कुमार घोष (मृतक)	69वीं अर्धवार्षिक ब्याज अदा किया गया	तरुण कुमार घोष	दिनांक 20-7-96 के डी० बाई० सं० एल०सी० ओ०-9/96-97 के द्वारा दिनांक 20-7-96 के महा प्रबंधक के आदेश फाइल सं० 125/6 ।
सी०ए०-377530	रु० 5000/-	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—
सी०ए०-377531	रु० 1000/-	—वही—	—वही—	—वही—	—वही—

सूची "ख"

प्रतिभूतियों का क्रमांक	मूल्य रु०/ ग्राम	निम्न नाम से जारी की गयी	ब्याज धारित किये जाने की तारीख	डुप्लिकेट जारी करने/ तथा भुगतान की अदायगी के लिए हकदार/ रों का/के नाम	आदेश सं० एवं जारी करने की तारीख	लोक ऋण अधिनियम 1944 के अंतर्गत सूची के प्रकाशन की तारीख जिसमें प्रतिभूति पहली बार प्रकाशित की गयी थी
1	2	3	4	5	6	7
			कानपुर सर्किल			
			7½ प्रतिशत सरकार ऋण 2010			
के०एन०-000400	25000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	12-11-81	सेक्युरिटी फंड आफ हिन्द केमिकल्स लि०		फाइल सं० एल० एन० जी० 237 उप महा प्रबंधक आदेश सं० आई० आर० 1528/61 दिनांक 20-6-96
के०एन०-000401	5000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	चौथी छमाही से ब्याज देय	--वही--		--वही--
			6¾ प्रतिशत सरकार ऋण 2007			
के०एन०-000212	5000/-	आंध्रा बैंक	तीसरी छमाही से ब्याज देय	हिन्द केमिकल्स लि० एम्प्लाइज प्राविडेंट फंड ट्रस्ट		फाइल सं० एल० एन० जी० 242 उप महा प्रबंधक आदेश सं० आई आर० 1530/61 दिनांक 20-6-96
			7.5 प्रतिशत ऋण 2010			
के०एन०-000359	14000/-	भारतीय रिजर्व बैंक	चौथी छमाही से ब्याज देय	--वही--		--वही--
			भायखला सर्किल			
			9 प्रतिशत राहत पत्र 1987			
बी०सी-10564	रु० 25000/-	श्रीमती होमाय एम बिलीमोरीया	8-10-90	श्रीमती होमाय एम० बिलीमोरिया		06.25.12 ——— 31-5-96

वि० वि० पाडलकर
कृते मुख्य महा प्रबंधक

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

नई दिल्ली-110 002, दिनांक 30 अक्तूबर 1996

सं. एफ. 1-59/66 (सी डी एन)—दिनांक 18 जून, 1968 में आंशिक तरमीम करते हुए "वाराणसेय संस्कृत विश्व-विद्यालय" के नाम के स्थान पर उपर्युक्त अधिसूचना में "सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय" किया जाए क्योंकि 26 दिसम्बर, 1974 से वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय का नाम बदल कर सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय कर दिया गया है ।

जी. डी. शर्मा
सचिव

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्

नई दिल्ली, दिनांक 1996

सं. जी.सी.आर.—भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम 1970 (1970 का 48) की धारा 36 के उपबन्ध (झ) (ञ) और (ट) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा की शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 1986 में आगे संशोधन करने हेतु निम्न विनियम बनाती है, नामत :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा की शिक्षा के न्यूनतम मानक) संशोधन विनियम 1955 कहा जाए ।

(2) वे सरकारी गजट में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे ।

2. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् (भारतीय चिकित्सा की शिक्षा के न्यूनतम मानक) विनियम 1986 में विद्यमान अनुसूची 3 के लिए निम्न अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत :

अनुसूची-3 (विनियम 7 देखें)

कामिल-ए-तिब्-ओ-जराहत पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम मानक

(उपाधि पाठ्यक्रम)

उद्देश्य और प्रयोजन :—

यूनानी के सक्षम चिकित्सक तैयार करना जो जहां आवश्यक हो वहां आधुनिक प्रगतियों के साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति के आधारभूत सिद्धान्तों एवं मौलिक सिद्धान्तों के विषय में अपने विस्तृत ज्ञान पर आधारित कार्य चिकित्सा एवं शल्य चिकित्सा के सभी प्रकार के रोगियों को संभाल सकें । ऐसे यूनानी स्नातक देश की चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में कार्य करने के लिए सक्षम होंगे ।

(1) प्रवेश अर्हता

मुख्य कामिल-ए-तिब्-ओ-जराहत (बैचलर आफ यूनानी मेडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी को सीनियर सैकण्डरी (12वीं कक्षा) विज्ञान (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव-विज्ञान) सहित इन्टरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए ।

अथवा

एक वर्षीय अवधि की प्राग-तिब्ब परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

(2) प्राग-तिब्ब पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अर्हता

मुख्य यूनानी पाठ्यक्रम के अंग एक वर्षीय प्राग-तिब्-पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक अभ्यार्थी को इन्टरमीडिएट परीक्षा के समकक्ष भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के द्वारा प्राप्य अर्हता जैसा कि इस अनुसूची के साथ संलग्न सूची में विशेषत: उल्लिखित है को उत्तीर्ण करना चाहिए ।

टिप्पणी—कामिल-ए-तिब्-ओ-जराहत मुख्य पाठ्यक्रम (उर्दू माध्यम) के लिए अभ्यर्थी को उर्दू सहित अर्हकारी परीक्षा अथवा उर्दू सहित आधुनिक भारतीय भाषा परीक्षा भी उत्तीर्ण होना चाहिए ।

3. प्रवेश के लिए न्यूनतम वय—

(क) मुख्य कामिल-ए-तिब्-ओ-जराहत (बैचलर आफ यूनानी मैडीसिन एण्ड सर्जरी) पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश वर्ष में प्रथम अक्तूबर को 17 वर्ष

(ख) एक वर्षीय अवधि के प्राग तिब् पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश वर्ष में प्रथम अक्तूबर को 16 वर्ष

पाठ्यक्रम की अवधि और परीक्षा—

(क) प्राग-तिब् पाठ्यक्रम एक वर्षीय अनिवार्य आवासी विशिष्ठानुप्रवेश सहित मुख्य 4½ वर्षीय यूनानी उपाधि पाठ्यक्रम के अग्र एक वर्ष की अवधि का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा ।

(ख) मुख्य पाठ्यक्रम तीन व्यावसायिक परीक्षाओं में बैठा हुआ 4½ वर्ष की अवधि का पूर्णकालिक पाठ्यक्रम होगा ।

(ग) इसके अतिरिक्त एक अभ्यर्थी जिसने तृतीय व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण की है मान्य संस्था/अस्पताल में 12 माह के आवासी विशिष्ठानुप्रवेश की संतोषजनक पूर्णता के पश्चात् कामिल-ए-तिब्-ओ-जराहत (बैचलर आफ यूनानी मैडीसिन एण्ड सर्जरी) उपाधि प्रदान किए जाने हेतु पात्र होगा ।

1. प्रथम व्यावसायिक	18 माह
2. द्वितीय व्यावसायिक	18 माह
3. तृतीय व्यावसायिक	18 माह
4. विशिष्ठानुप्रवेश	12 माह

उपस्थिति

प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्राग्/तिब्/व्यावसायिक पाठ्यक्रम के दौरान प्रत्येक विषय में दिए गए व्याख्यानों और कराए गए प्रायोगिक/निदर्शन/चिकित्सीय प्रत्यक्ष कर्मभ्यास की न्यूनतम तीन चौथाई में उपस्थित होना होगा और प्रत्येक छात्र को वर्ष के दौरान शैक्षिकटूर/पर्यटन में भी भाग लेना होगा बशर्ते कि महाविद्यालय के प्राचार्य किसी छात्र को उस विस्तार तक कि वह प्रत्येक मामले के व्यक्तिगत गुण पर आवश्यक समझता है ऐसी भागीदारी से छूट दे दे ।

3. पाठ्यक्रम की सफलतापूर्वक पूर्णता के पश्चात् प्रदान की जाने वाली उपाधि कामिल-ए-तिब्-ओ-जराहत (बैचलर आफ यूनानी मैडीसिन एण्ड सर्जरी)

(1) निर्देश का माध्यम—

(क) निर्देश का माध्यम जहां आवश्यक हो वहां अंग्रेजी से प्रमाणित उर्दू होगा हिन्दी अथवा क्षेत्रीय भाषा में अध्यापन की सुविधा दी जाए और माध्यम में परिवर्तन अपनाया जाए बशर्ते पाठ्यग्रन्थ हिन्दी अथवा प्रान्तीय भाषाओं में उपलब्ध कराई जाएं ।

(ख) अध्ययन के पाठ्यक्रम में आवश्यक आधुनिक विकासों को सम्मिलित किया जाएगा ऐसे मामलों में शब्दावली अरबी समतुल्य के साथ आधुनिक मानक शब्दावली होगी । यूनानी के लिए शब्दावली अनिवार्यतः यूनानी शब्दावली रहेगी ।

(2) कार्य दिवसों की संख्या—

एक वर्ष में कार्य दिवसों की संख्या प्रत्येक दिन में पैंतालीस मिनट की अवधि के न्यूनतम सात व्याख्यानों सहित दो सौ होगी ।

(क) एक वर्षीय अवधि का प्राग्-तिब् पाठ्यक्रम और व्याख्यानों की संख्या—

क्रम संख्या	विषय	व्याख्यानों की संख्या			परीक्षा योजना	
		सैद्धान्तिक	प्रायोगिक	प्रश्न-पत्र	सैद्धान्तिक अंक	प्रायोगिक अंक
1.	तबीयात	200	100	एक	100	100
2.	कीमिया	200	100	एक	100	100
3.	नबातीयात	200	100	एक	100	100
4.	हैवानियात	200	100	एक	100	100
5.	अंग्रेजी	150	—	एक	100	—
		950	400		500	400

व्याख्यानों की अवधि

सैद्धान्तिक के लिए न्यूनतम अवधि पैंतालिस मिनट और प्रायोगिक के लिए एक घंटा होगी ।

कुछ विषयों में परीक्षा देने की छूट

प्राच्य अर्हता वाले छात्रों को अरबी और मान्तिक-ओ-फलसफा विषयों में प्रविष्ट होने की छूट दी जानी चाहिए । इसी प्रकार एक विषय के रूप में अंग्रेजी सहित उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को अंग्रेजी विषय में प्रविष्ट होने से छूट दी जानी चाहिए ।

मुख्य पाठ्यक्रम में परीक्षा के विषय—

प्राग चिकित्सीय

(क) प्रथम व्यावसायिक

1. तशरीह-उल-बदन
2. मुनाफे-उल-अजा
3. उमूरे-तबीया
4. मन्तिक-फलसफा और हैवात
5. अरबी
6. तारीख-ए-तिब्

(ख) द्वितीय व्यवसायिक

1. इलमुल अदविया I (कुल्लियात और मुफ्रदात)
2. इलमुल अदविया II (मुरक्कबात और सैदला)
3. इलमुल अमराज और मारीरियात
4. इलमुल समूम और तिब्ब-ए-कानूनी
5. हिफ्जान-ए-सेहत तहफ्फुजी और समाजी तिब्ब

(ग) तृतीय व्यावसायिक

1. मुआलिजात I
2. मुआलिजात II
3. जराहियात
4. अमराज-ए-एन-उज्न-अनफ, हलक
5. इलमुल कावला, निसवान-ओ-अतफाल

4½ वर्षीय अवधि का मुख्य पाठ्यक्रम

विभिन्न विषयों के लिए व्याख्यानों/प्रायोगिक/निर्देशों की संख्या

(क) प्रथम व्यवसायी पाठ्यक्रम के विषय	व्याख्यान	प्रायोगिक/निर्देशन
1. तशरीह-उल-बदन	300	200
2. मुनाफे-उल-अजा	300	150
3. उमूरे-तबीयात	150	50
4. मन्तिक, फलसफा और हैवात	150	—
5. अरबी	150	—
6. तारीख-ए-तिब्ब	100	—
	1150	400

(ख) द्वितीय व्यवसायी पाठ्यक्रम के विषय	व्याख्यान	प्रायोगिक/निर्देशन
1. इलमुल अदविया I (कुल्लियात और मुफ्रदात)	300	150
2. इलमुल अदविया II (मुरक्कबात और सैदला)	250	150
3 इलमुल अमराज और शरीरयात	250	150
4. इलमुल समूम और तिब्बी कानूनी	200	50
5. हिफ्जाने—सेहत तहफ्फुजी और समाजी तिब्	250	50
	1250	550

(ग) तृतीय व्यावसायी पाठ्यक्रम के विषय		
1. मुआलिजात I	250	150
2. मुआलिजात II	250	150
3. जराहियात	200	100
4. अमराजे ऐन उजन अनफ हलक	200	100
5. इलमुल कावला निसवान ओ अतफाल	300	100
	1200	600

परीक्षा योजना

प्रथम व्यवसायी पाठ्यक्रम	सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र	अंक	क्रियात्मक/मौखिक	अंक
1. तशरीह-उल-बदन	दो प्रश्नपत्र अ	100	एक	100
	प्रश्नपत्र ब	100		
2. मुनाफे-उल-अजा	दो प्रश्नपत्र अ	100	एक	100
	प्रश्नपत्र ब	100		
3. उमूरे तबीया	एक प्रश्नपत्र	100	एक मौखिक	100
4. मन्तिक फलसफा और हैयात	एक प्रश्नपत्र	100	—	—
5. अरबी	एक प्रश्नपत्र	100	—	—
6. तारीख-तिब्ब	एक प्रश्नपत्र	100	—	—
		800		300

टिप्पणी—जिन छात्रों ने मन्तिक फलसफा/अरबी विषयों में परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो उन्हें सम्बन्धित विषय में छूट दी जायगी ।

द्वितीय व्यावसायी पाठ्यक्रम	सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र	अंक	क्रियात्मक/मौखिक	अंक
1. इलमुल अदविया I (कुल्लियात एवं मुफ्रदात)	दो प्रश्नपत्र क	100	एक	100
	प्रश्नपत्र ख	100		
2. इलमुल अदविया II (मुरक्कबात एवं सैदला)	दो प्रश्नपत्र क	100	एक	100
	प्रश्नपत्र ख	100		
3. इलमुल अमराज एवं शरीरयात	प्रश्नपत्र क	100	एक	100
	दो प्रश्नपत्र ख	100		
4. हिफ्जाने—सेहत (तहफ्फुजी—वो—समाजी—तिब्)	दो प्रश्नपत्र क	100	एक	100
	प्रश्नपत्र क	100		
	प्रश्नपत्र ख	100		
5. इलमुल समूम एवं तिब्बी कानूनी	प्रश्नपत्र क	100	एक	100
	दो प्रश्नपत्र ख	100		
		1000		500

तृतीय व्यावसायी पाठ्यक्रम	सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र	अंक	क्रियात्मक/मौखिक	अंक
1. मुआलीजात I	दो प्रश्नपत्र अ	100	एक	100
	प्रश्नपत्र ब	100		
2. मुआलीजात II	दो प्रश्नपत्र अ	100	एक	100
	प्रश्नपत्र ब	100		
3 जराहियात	दो प्रश्नपत्र अ	100	एक	100
	प्रश्नपत्र ब	100		
4. अमराजे ऐन उजन अनफ, हलक	प्रश्नपत्र अ	100	एक	100
	दो प्रश्नपत्र ब	100		
5. इलमुल कावला निसवान, ओ अतफाल	दो प्रश्नपत्र अ	100	एक	100
	प्रश्नपत्र ब	100		
		1000		500

टिप्पणी—प्रत्येक सैद्धान्तिक प्रश्नपत्र तीन घंटे का होगा।

टिप्पणी—तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में विषयों और पत्रों का विभाजन

मुआलिजात 1 प्रश्नपत्र क में हुम्मियात होगा

मुआलिजात 1 प्रश्नपत्र ख में अमराज रास होगा

मुआलिजात 2 प्रश्नपत्र क में अमराज-ए-सदरा-ओ-रिया और अमराजे आमा होगा

मुआलिजात 2 प्रश्नपत्र ख में अमराज-ए-हजम आजा-ए-बाउल-ओ-तनासुल तक होगा

जराहत प्रश्नपत्र अ में जराहत ए-आमा होगा (सामान्य शल्य)

जराहत प्रश्नपत्र ब में जराहत ए-मखसूसा होगा (विशिष्ट शल्य चिकित्सा)

अमराज-ए-एन, उजन अनफ हलक प्रश्नपत्र अ में अमराज-ए-एन और प्रश्नपत्र ब में अमराज उज्न अनफ, हलक, असनान (नाक, कान, गला) होगा ।

इलमुल कबाला और अमराज निसवान अतफाल प्रश्नपत्र अ में इलमुल कबाला, अमराज नउ मौलूद और प्रश्नपत्र ब में अमराज निसवान और अतफाल होगा ।

टिप्पणी—तृतीय व्यावसायी पाठ्यक्रम के छात्र मुआलिजात विभाग के अन्तरंग और बाहरंग विभाग में 9 माह के लिए नियुक्त किए जाएंगे और मुआलिजात प्रथम और द्वितीय में कम से कम 20 रोगियों का अभिलेख तैयार करेंगे । उन्हें जराहत विभाग में तीन माह के लिए नियुक्त किया जाएगा और 20 रोगियों का अभिलेख तैयार करेंगे । इसी प्रकार वे अमराज ए-एन-उज्न अनफ, हलक के विभाग में तीन माह के लिए नियुक्त किए जाएंगे और 20 रोगियों का अभिलेख तैयार करेंगे । इलमुल कबाला निसवान अतफाल के विभाग में वे तीन माह के लिए नियुक्त किए जाएंगे और 20 रोगियों का अभिलेख तैयार करेंगे ।

(3) विशिष्टानुप्रवेश :—तृतीय व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् प्रत्येक छात्र मान्य संस्था/अस्पताल में मुआलिजात विभाग में 5 माह, हिफ्ज नि-ए-सेहत तहफ्फुजी समाजी तिब्ब विभाग में दो माह, शल्य विभाग में दो माह, अमराज-एन-उज्न अनफ हलक विभाग में एक माह और इलमुल कबाला निसवान अतफाल विभाग में दो माह के लिए आवर्ती विशिष्टानुप्रवेश के लिए नियुक्त किया जाएगा ।

(4) परीक्षाओं में बैठना

(क) प्रथम व्यावसायी परीक्षा 18 माह के शिक्षण एवं क्रियात्मक के अन्त में होगी ।

प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम का शैक्षिक सत्र जुलाई के प्रथम दिवस से प्रारम्भ होगा और अगले वर्ष दिसम्बर में समाप्त होगा। परीक्षा सामान्यतः नवम्बर/दिसम्बर माह में होगी । उत्तरवर्ती प्रथम व्यावसायिक परीक्षा प्रत्येक छह माह में होगी । प्रथम व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए अभ्यर्थियों को तीन लगातार अवसरों की अनुमति होगी । तथापि, प्रथम व्यावसायिक परीक्षा को तशरीह-उल-बदन, मुनाफे-उल-आजा एवं उमूरे तबीया को अतिरिक्त अन्य दो विषयों तक में अनुत्तीर्ण छात्र को द्वितीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में सत्र जारी रखने की अनुमति दी जाएगी । केवल उन छात्रों को जिन्होंने प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा में समस्त विषयों को उत्तीर्ण किया को तृतीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम में जाने की अनुमति होगी ।

(ख) एक या दो विषयों में अनुत्तीर्ण अभ्यर्थी को उत्तरवर्ती प्रथम व्यावसायिक परीक्षा के उस विषय/विषयों में बैठने की पात्रता होगी ।

(ग) उन अभ्यर्थियों जो प्रथम व्यावसायिक परीक्षा में तीन अवसरों में भी उत्तीर्ण करने में असफल रहते हैं को अपना अध्ययन जारी रखने की अनुमति नहीं होगी । तथापि, अभ्यर्थी की गम्भीर प्रकृति की अवस्था के मामले में और अपरिहार्य स्थिति/परिस्थितियों में विश्वविद्यालय प्रथम व्यावसायिक पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने हेतु एक या अधिक अवसर प्रदान कर सकता है ।

परीक्षा में एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण छात्र परवर्ती द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा जो प्रति छह माह में होगी में प्रवेश के पात्र होंगे । समस्त विषयों में उत्तीर्ण छात्रों को ही तृतीय व्यावसायिक परीक्षा में प्रवेश की अनुमति होगी ।

(घ) द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा तीन वर्षों के अंत में होगी और प्रथम व्यावसायिक परीक्षा का अनुसरण करते हुए अवधरों में होगी । परीक्षा साधारणतः तीन वर्ष की पूर्णता के पश्चात् अप्रैल/मई में होगी ।

(ङ) अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् तृतीय व्यावसायिक पाठ्यक्रम के 18 माह के अन्त में होगी ।

(च) यदि अभ्यर्थी अन्तिम व्यावसायिक परीक्षा में एक या अधिक विषयों में अनुत्तीर्ण रहता है तो वह परवर्ती तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के उन विषयों में प्रवेश का पात्र होगा जो प्रति छह माह में होगी ।

(5) उत्तीर्णांक—

प्रायोगिक एवं अथवा मौखिक और सैद्धांतिक में पृथक-पृथक रूप से 50 प्रतिशत उत्तीर्णांक होंगे । किसी विषय में 80 प्रतिशत और अधिक अंक उस विषय में विशेष योग्यता के सूचक होंगे ।

(6) परिणामों का वर्गीकरण

श्रेणी का वर्गीकरण

प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय व्यावसायिक परीक्षा के पूर्ण योग के आधार पर होगा, बशर्ते वे एक बार में ही उत्तीर्ण हों ।

प्रथम श्रेणी—पूर्ण योग का 75 प्रतिशत या अधिक

द्वितीय श्रेणी—पूर्ण योग का 50 प्रतिशत या अधिक

विषय योग्यता—विषय में 80 प्रतिशत या अधिक

शिक्षक वर्ग के लिए विहित अर्हता

5. शिक्षकों की अर्हता

(क) चिकित्सीय विषयों के लिए

(1) अनिवार्य—

(अ) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा भारतीय चिकित्सा के सांविधिक मंडल/संगठ/परीक्षा निकाय से यूनानी चिकित्सा में उपाधि/डिप्लोमा अथवा समकक्ष एवं भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1970 की द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित ।

(ज) प्राध्यापक, प्रवाचक और वरिष्ठ प्रवक्ता के पद के लिए मान्य संस्था में अपने विषय में क्रमशः 10 वर्ष, 5 वर्ष और 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव प्रावक्ता के पद के लिए अध्यापन अनुभव आवश्यक नहीं है।

(2) वांछनीय—मान्य संस्था/विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से यूनानी में स्नातकोत्तर अर्हता ।

विषय पर प्रकाशित मौलिक लेख/पुस्तकें ।

(ख) मौलिक विज्ञान के विषयों के लिए

सम्बन्धित विषय में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में एम. एस.सी.

(ग) अरबी और मन्तिक-औ-फलसफा विषय के लिए

भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा अनुमोदित अरबी में फाजिल अथवा समकक्ष परीक्षा ।

(घ) अंग्रेजी में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी में एम.ए.।

टिप्पणी—विज्ञान अरबी/मान्तिक-ओ-फलसफा और अंग्रेजी विषयों के लिए केवल प्रवक्ता का प्रावधान होगा ।

6. यूनानी तिब्बी महाविद्यालयों में प्राचार्य के पद के लिए अर्हताएं—

(क) अनिवार्य—

(1) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 के अधीन मान्य संस्था से प्रथम अथवा उच्च द्वितीय श्रेणी में यूनानी में उपाधि अथवा डिप्लोमा।

(2) कम से कम 10 वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

(ख) वांछनीय—

(1) कम से कम 5 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव ।

(2) यूनानी तिब्ब में स्नातकोत्तर अर्हता ।

(3) यूनानी तिब्ब के किसी विषय पर मौलिक प्रकाशित कार्य ।

(4) अरबी/फारसी और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान ।

टिप्पणी—संस्था के प्रमुख/विभागाध्यक्ष के पास अनिवार्यतः यूनानी तिब्ब में उपाधि/अनुभव होना चाहिए ।

अध्यापकों का वेतनमान

यूनानी महाविद्यालयों के अध्यापकों का वेतनमान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विहित वेतनमान से कम नहीं होना चाहिए ।

यूनानी चिकित्सा के स्नातकोत्तर विभाग के अध्यापकों के लिए विहित अर्हताएं—

चिकित्सा विषयों के लिए

अनिवार्य—

(1) विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय अथवा सांविधिक/मंडल/संकाय/भारतीय चिकित्सा की परीक्षा निकाय से यूनानी चिकित्सा की उपाधि/डिप्लोमा या उसके समकक्ष और भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 में सम्मिलित हो ।

(2) प्राध्यापक, प्रवाचक एवं वरिष्ठ व्याख्याता के पद के लिए सम्बन्धित विषय में मान्य संस्था में क्रमशः 10 वर्ष, 5 वर्ष एवं 3 वर्ष का अध्यापन अनुभव ।

(3) मान्य संस्था/विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय से उस विषय में स्नातकोत्तर अर्हता ।

(4) विषय पर प्रकाशित मौलिक लेख/पुस्तकें ।

टिप्पणी—उन विषयों जिनमें स्नातकोत्तर शिक्षा प्रारम्भ नहीं हुई है और अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हैं, अध्यापन अनुभव निम्न प्रकार से बढ़ाते हुए रिक्ति पूर्ति की जाएगी ।

सम्बन्धित विषय में प्राध्यापक के लिए 13 वर्ष, प्रवाचक के लिए 8 वर्ष और वरिष्ठ व्याख्याता के लिए 6 वर्ष का अध्यापन अनुभव अनिवार्यतः आवश्यक होगा ।

यूनानी उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के उद्देश्य से हायर सैकेंडरी/इन्टरमीडिएट अथवा 12वीं कक्षा के समकक्ष अरबी/फारसी में प्राप्य अर्हताओं की सूची

क्रम सं., प्रदान करने वाली निकाय एवं अर्हता

1. लखनऊ विश्वविद्यालय—फाजिल-ए-अदब अंग्रेजी सहित
2. नदवातुल उलमा (लखनऊ)—फाजिल-ए-तौफसिर
3. दारूल उलूम नदवा (लखनऊ)—फाजिल
4. दारूल उलूम, देवबन्द—फाजिल
5. बनारस विश्वविद्यालय (वाराणसी)—फाजिल
6. अल-जमीअतुल सलाफिस (वाराणसी)—फाजिल
7. बोर्ड आफ अरबिक और परशियन एग्जामिनेशन्स, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद—अरबी में फाजिल
8. मदरसाई फैज आम मउनाथ भंजन, आजमगढ़—फाजिल
9. दारूल हदीस, मउनाथ भंजन, आजमगढ़ (उ. प्र.)—फाजिल
10. जमीलुस्तुल फलाह, बिलारियागंज, आजमगढ़ (उ. प्र.)—फाजिल
11. दारूल उलूम अहले सुन्नत, मदरसाई अशरफिया मिस्बाहुल उलूम, मुबारकपुर, आजमगढ़—फाजिल
12. मदरसाई सिराजुल उलूम बोंधियार, जिला गोंडा (उ. प्र.)—फाजिल
13. दारूल हुदा, यूसुफपुर जिला-बस्ती (उ. प्र.)—फाजिल
14. जामिया फारूकिया, रहमत दाया शाहगंज जिला—जौनपुर (उ. प्र.)—फाजिल
15. दारूल उलूम अरबी महाविद्यालय, मेरठ शहर (उ. प्र.)—फाजिल
16. मजाहिरूल उलूम, सहारनपुर (उ. प्र.)—फाजिल
17. राजकीय मदरसाई आलिया, रामपुर—फाजिल
18. जामिया इस्लामिया अलमहद, ओखला, नई दिल्ली—फाजिल

RESERVE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

DEPARTMENT OF BANKING OPERATIONS AND DEVELOPMENT

Mumbai-400 005, the 23rd October 1996

No. 338/08.21.001/96.—The Reserve Bank of India has, in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of Section 19 of the State Bank of India Act 1955 (Act 23 of 1955) nominated Dr. Y. V. Reddy, Deputy Governor, Reserve Bank of India, as a Director of the State Bank of India with effect from 23rd October, 1996 vice Shri S. S. Tarapore.

S. P. TALWAR
Deputy Governor

Mumbai-400 005, the 19th October 1996

No. BC. 140/12.01.001/96-97.—In exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (1) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and in supersession of its Notification No. DBOD. BC. 87/12.01.001/96-97 dated July 1, 1996, the Reserve Bank of India hereby specifies that the average Cash Reserve Ratio (CRR) required to be maintained by the Scheduled Commercial Banks (excluding Regional Rural Banks) shall, from the effective dates mentioned below, be at the percentage points as indicated thereagainst.

Effective date (i.e. fortnight beginning from)—CRR on net demand and time liabilities (per cent)

October 26, 1996—11.5

November 9, 1996—11.0

January 4, 1997—10.5

January 18 1997—10.0

J. R. PRABHU
Executive Director

URBAN BANKS DEPARTMENT

Mumbai-400 018, the 24th September 1996

No. BR/141/16.05.00/96-97.—The Reserve Bank of India in pusuance of Clause (a) of sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (Act No. 2 of 1934) hereby directs inclusion of the following banks in the Second Schedule to the said Act, effective from October 26, 1996.

1. Thane Janata Sahakari Bank Ltd., Thane.
2. Goa Urban Cooperative Bank Ltd., Goa.
3. Dombivli Nagari Sahakari Bank Ltd., Dombivli.
4. Citizen Cooperative Bank Ltd., Mumbai.
5. Greater Bombay Cooperative Bank Ltd., Mumbai.
6. A. P. Mahesh Cooperative Bank Ltd., Hyderabad.

S. A. HUSSAIN
Executive Director

DEPARTMENT OF GOVERNMENT AND BANK ACCOUNTS

Mumbai, the 16th November 1996

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April 1946 [as amended under the Notification No. F(8/70-B/52 dated the 29th April 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February, 1990] the following list for the month ended 30th June, 1996 is hereby advertised of securities lost etc. in respect of which prima facie ground exists for believing that securities have been lost and that the claim of applicant is just. All persons other than the respective claimants names below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India Central Office, Department of Government & Bank Accounts Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts : List 'A' being securities now advertised for the first time and list "B" : the list of securities previously advertised.

LIST "A"

No. of security	Value in Rs./Grms.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name (s) of the claimant (s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		Kanpur P Circle			
		7½% G. I. Loan 2010			
1 KAN-000400	Rs. 25000/-	Reserve Bank of India.	12-11-1981	Gratuity Fund of Hind Chemicals Ltd.	File No. LNG. 237 Dy. General Manager's Order No. IR-1528/61 dated 26-6-1996.
2. KAN-000401	Rs. 5000/-	Do.	Interest due from 4th half year.	Do.	Do.
		6¾% G. I. Loan 2007			
3. KAN-000212	Rs. 5000/-	Andhra Bank	Interst due from 3rd half year	Hind Chemicals Ltd. Employees Provident Fund Trust.	File No. LNG. 242 Dy. General Manager's Order No. IR-1530/61 Dated 20-6-1996
		@7.5 % Loan 2010			
4. KAN-000359	Rs. 14000/-	Reserve Bank of India.	Interst due from 4th half year.	Do.	Do.

LIST "B"

No. of Security	Value in Rs./ Grms.	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued	Date of Publication under P. D. Act 9 of 1944 of list in which the security was first published.
1	2	3	4	5	6	7
BYCULLA CIRCLE						
9% Relief Bonds, 1997						
BC-10564	Rs. 25,000	Mrs. Homai M. Bilimoria	8-10-1990	Mrs. Homai M. Bilimoria	06-25-12 31-5-1996	
AHMEDABAD CIRCLE						
National Defence Gold Bond 1980 "Ser. A"						
AD-004927	100 gms.	Narendra Navinchandra	26-10-1979	Sanjiv Ramesh Chokshi	Lost case No. LN/S/76 CGM's order dated 16-3-96 C.O.,s Diary No. 243A dated 18-3-1996.	
MADRAS CIRCLE						
3% Conversion Loan 1946						
MS-025194	Rs. 200	District Educational Officer, Tiruvallore	16-5-1977	District Educational Officer, Tiruvallore	G. M. Diary No 51 dated 11-4-96 (LN 2640)	
MUMBAI FORT CIRCLE						
National Defence Gold Bond 1980 ("B" Series)						
BY-032624	17 gms.	Shri Mohansinh Harpalsinh Sengra	Interest fully paid	Shri Mohansinh Harpalsinh Sengra.	Case No. 20-04-1975 GM's Order dated 9-4-1996 CO Diary No. 633 dated 10-4-96	
10.25% Loan, 2012						
BY-000915	Rs. 59,500	Central Bank of India	1-6-1985	American Express Bank Ltd.	Case No. 20-04-1997 GM's Order dated 16-4-1996. CO Diary No. 652 dt. 17-4-96.	
11.5% Loan 2015						
BY-004156	Rs. 4,00,000	Central Bank of India	21-11-1987	American Express Bank Ltd.	Case No. 20.4. 1997 GM's Order dated 16-4-1996. CO Diary No. 652 dated 17-4-1996.	
BY-004157	Rs. 4,00,000/-	Do.	Do.	Do.	Do.	

D. C PADALKAR
P. Chief General Manager.

In pursuance of Rule 18 of the Rule made by the Government of India under Section 28 of the Public Debt Act, 1944 and published in the Gazette of the 20th April, 1946 [as amended under the Notification No. F.(8)/70-B/52 dated the 29th April, 1954 and the Notification in extra ordinary Gazette No. 67 dated 21st February 1990] the following list for the month ended July, 1996 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie for the month ended July, 1996 is hereby advertised of securities lost etc. In respect of which prima facie ground exists for believing that the securities have been lost and that the claim of the applicant is just. All persons other than the respective claimants named below who have any claim upon these securities should communicate immediately with the Chief General Manager, Reserve Bank of India, Central Office, Department of Government and Bank Accounts, Central Debt Division, Mumbai.

The list has been divided into two parts : List "A" being securities now advertised for the first time and list "B" the list of securities previously advertised.

LIST 'A'

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing Interest	Name (s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued
1	2	3	4	5	6
		National Defence Gold Bond 1980 "A Series" (New Delhi Circle)			
DH-009881	58 gms of gold	Chanan Lal	27-10-67	Raj Kumar Agarwal	LN-20/80/95/96 dated 24-6-96
		National Defence Gold Bond 1980 "B Series"			
DH-002774	3 gms of gold	Sudershan Arora	26-10-66	Joginder Lal Kapur	LN-6/95 dated 24-6-96
		3% Conversion Loan 1948 (Calcutta Circle)			
CA-377529	Rs. 2000/-	Provat Kumar Ghosh (deceased)	69th Half-year interest paid	Tarun Kumar Ghosh	File No.I 2516 General Manager's Order dated 20-7-96 vide Dy No. LCO-9/96/97 dated 20-7-96
CA-377530	Rs. 5000/-	Do.	Do.	Do.	Do.
CA-377531	Rs. 1000/-	Do.	Do.	Do.	Do.

LIST 'B'

No. of Security	Value in Rs./Grams	In whose name issued	From what date bearing interest	Name(s) of the claimant(s) for issue of duplicate and/or payment of discharge value	No. and date of order issued	Date of publication under P.D. Act 9 of 1944 of list in which the security was first published
1	2	3	4	5	6	7
			7½% G.I. Loan 2010 (Kanpur Circle)			
KN-000400	25,000/-	Reserve Bank of India	12-11-81	Gratuity Fund of Hind Chemicals Ltd.	File No. LNG 237 Dy General Manager's Order No. IR 1528/61 dated 20-6-1996.	
KN-000401	5,000/-	Do.	Interest due from 4th half year.	Do.	Do.	
			6½% Loan 2007			
KN-000212	5,000/-	Andhra Bank	Interest due from 3rd half-year	Hind Chemicals Ltd. Employees' Provident Fund Trust.	File No. LNG-242 Dy. General Manager's Order No. IR-1530/61 dated 20-6-1996	
			7½% Loan 2010			
KN-000359	14,000/-	Reserve Bank of India	Interest due from 4th Half-year	Hind Chemicals Ltd. Employees' Provident Fund Trust.	File No. LNG-242 Dy. General Manager's order No. IR 1530/61 dated 20-6-1996.	
			9% Relief Bonds 1987 (Byculla Circle)			
BC-10564	25,000/-	Mrs. Homai M. Bilimoria	8-10-1990	Mrs. Homai M. Bilimoria	06-25-12 31-5-1996	

D. C. PADALKAR
P. Chief General Manager

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION

New Delhi-110 002, the 30th October 1996

No. F. 1-59/66 (CDN).—In partial modification of the Notification No. F. 1-59/66 (CDN) dated 18th June, 1968, the name of the "Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya' should be substituted by "Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya" in the above mentioned notification, since the name of Varanaseya Sanskrit Vishvavidyalaya has been changed as Sampurnanand Sanskrit Vishwavidyalaya w.e.f. 26th December, 1974

G. D. SHARMA
Secretary

CENTRAL COUNCIL OF INDIAN MEDICINE NEW DELHI

GSR.—In exercise of the powers conferred by clause (i) (j) and (k) of section 36 of the Indian Medicine Central Council Act 1970 (48 of 1970), the Central Council of Indian Medicine, with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations, 1986, namely :—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Amendment Regulations, 1995.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Medicine Central Council (Minimum Standards of Education in Indian Medicine) Regulations 1986, for the existing Schedule III, the following Schedule shall be substituted, namely :—

SCHEDULE—II (See Regulation 7)

MINIMUM STANDARDS FOR THE COURSE OF KAMIL-E-TIB-O-JARAHAT

(Degree Course)

1. AIMS AND OBJECTIVES OF UNANI EDUCATION

To produce competent Unani Physicians who can handle all sorts of cases medical as well as surgical based on their extensive knowledge about the fundamental theories and the basic principles of the Unani System of Medicine with modern advances where necessary. Such Unani graduate shall be competent to serve in the medical and health services of the country.

2. (1) QUALIFICATIONS FOR ADMISSION

A candidate seeking admission to main Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) Course must have passed Senior Secondary (12th Standard)/Intermediate examination with Science (Physics, Chemistry and Biology or its equivalent examination.

OR

has passed the Pretib Examination of one year duration.

(2) QUALIFICATION FOR ADMISSION TO PRE-TIB COURSE

A candidate seeking admission to one year Pre-tib Course must have passed the Oriental qualification equivalent to Intermediate Examination, as specified in the list attached to this schedule, recognised by the Central Council of Indian Medicine leading to main Unani Course.

NOTE : For Kamil-e-Tib-o-Jarahat Main Course (Urdu Medium) the candidate should have also passed the qualifying examination with Urdu either MIL examination with Urdu.

(3) MINIMUM AGE FOR ADMISSION :

(a) 17 years on 1st October in the year of admission for admission to main Kamil-e-Tib-o-Jarahat (Bachelor of Unani Medicine and Surgery) Course.

(b) 16 years on 1st October in the year of admission for admission to Pre-tib Course of one year duration.

(4) DURATION OF COURSE AND EXAMINATION :

(a) Pre-tib Course will be a full time course of one year duration leading to main 4½ years Unani degree Course and one year compulsory rotatory internship.

(b) Main Course shall be a whole time course of 4½ years duration splitted in three Professional Examinations.

(c) In addition a candidate who has passed the IIIrd Professional Examination shall be eligible for award of Kamil-e-Tib-o-Jarahat Bachelor of Unani Medicine and Surgery) degree after satisfactory completing 12 months rotatory intership in recognised institution/hospital.

(I) 1st Professional—18 Months

(II) IInd Professional—18 Months

(III) IIIrd Professional—18 months

(IV) Internship—12 months

(5) ATTENDANCE

Each student shall be required to attend not less than three forth of the lecturers delivered and practicals/demonstrations/clinicals held in each subject during each Pre-tib/Professional Course and each student also be required to participate in education trips/tours of the college during the year, provided that the Principal of the college may exempt any student from such participation to the extent he deemed necessary on individual merit of each case.

3. DEGREE TO BE AWARDED AFTER SUCCESSFUL COMPLETION OF COURSE

KAMIL-E-TIB-O-JARAHAT

Bachelor of Unani Medicine and Surgery)

(1) MEDIUM OF INSTRUCTION

(a) Medium of instructions shall be Urdu substantiated with English wherever necessary. Facilities for teaching in Hindi or regional language may be provided and a change in the medium may be adopted provided the text books in Hindi or regional languages are made available

(b) Necessary modern advancements shall be incorporated in the Course of studies. In such cases terminology shall be standard modern terminology with Arabic equivalent. For Unani, the terminology shall essentially remain the Unani terminology.

(2) NUMBER OF WORKING DAYS

The number of working days in a year may be two hundred with atleast seven lectures of forty five minutes duration each day

(a) PRE-TIB COURSE OF ONE YEAR DURATION AND NUMBER OF LECTURES

S. No.	Subjects	No. of Lectures		Scheme of Examination		
		Theory	Practical	Papers	Theory Marks	Practicals Marks
1.	Tabiyat	200	100	One	100	100
2.	Kimiya	200	100	One	100	100
3.	Nabatiyat	200	100	One	100	100
4.	Haiwaniyat	200	100	One	100	100
5.	English	150	. .	One	100	—
		950	400		500	400

(3) DURATION OF LECTURES

The minimum duration for theory should be forty five minutes, and one hour for practicals.

(4) EXEMPTION FOR APPEARING IN CERTAIN SUBJECTS.

The students with oriental qualification should be exempted from appearing in subject of Arabic and Mantiq-o-Falsafa. Likewise, Higher Secondary passed students with English as one of their subjects should be exempted from appearing in the subject of English.

(5) SUBJECTS OF EXAMINATION IN MAIN COURSE PRE CLINICAL

(a) 1st PROFESSIONAL COURSE

(i) TASHREEHUL BADAN

(ii) MUNAFE-UL-AZA

(iii) UMOOR-E-TABIYA

(iv) MANTIQUE, FALSAFA & HAIYAT

(v) ARABIC

(vi) TARIKHE-TIB

(b) 2ND PROFESSIONAL COURSE

(i) ILMUL ADVIA I
(Kulliyat & Mufradat)

(ii) ILMUL-ADVIA II
(Murakkabat & Caidala)

(iii) ILMUL AMRAZ & SAREERYAT

(iv) ILMUL-SAMOOM & TIBB-E-QANOONI

(v) HIFZAN-E-SEHAT TAHAFFUZI & SAMAJI TIB

(c) 3RD PROFESSIONAL COURSE

(i) MOALIJAT I

(ii) MOALIJAT II

(iii) JARAHIYAT

(iv) AMRAZ AIN UZN ANAF HALAQ

(v) ILMUL QABALA, NISWAN-O-ATFAL

4. MAIN COURSE OF 4½ YEARS DURATION

(1) Number of Lectures/Practicals Demonstrations for various subjects.

(a)	Subjects of 1st Professional Course	Lectures	Practicals/ Demonstration
(i)	Tashreehul Badan	300	200
(ii)	Munafe-ul-Aza	300	150
(iii)	Umoor-e-Tabiyat	150	50
(iv)	Mantique, Falsafa & Haiyat	150	—
(v)	Arabic	150	—
(vi)	Tarikh-e-Tib	100	—
		1150	400

(b)	Subjects of 2nd Professional Course	Theory	Practical
(i)	Ilmul Advia I (Kulliyat & Mufradat)	300	150
(ii)	Ilmul Advia II (Murakkabat & Saidla)	250	150
(iii)	Ilmul Amraz & Sareeryat	250	150
(iv)	Ilmul-Samoom & Tibbi Qanooni	200	50
(v)	Hifzan-e-Sehat Tahaffuzi & Samaji Tib	250	50
		1250	550

(c)	Subjects of 3rd Professional Course	Theory	Practical
(i)	Moalijat I	250	150
(ii)	Moalijat II	250	150
(iii)	Jarahiyat	200	100
(iv)	Amras Ain Uzn Anaf Halaq	200	100
(v)	Ilmul Qabala, Niswan-e-Atfal	300	100
		1200	600

SCHEME OF EXAMINATION

(a)	Ist Professional Course	Theory Papers		Marks	Practical/Viva	Marks
(i)	Tashreehul Badan	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
(ii)	Muna fa-ul-Aza	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
(iii)	Umoor-e-Tabiya	One Paper		100	One Viva	100
(iv)	Mantiq Falsafa & Haiyat	One Paper		100	-	--
(v)	Arabic	One Paper		100		
(vi)	Tarikh-e-Tib	One Paper		100		--
				800		300

NOTE : The students who have passed subject of Mantiq, Falsafa/Arabic in qualifying examination will be exempted in respective subjects.

(b)	IInd Professional Course	Theory Papers		Marks	Practical/Viva	Marks
(i)	Ilmul Advia I (Kulliyat & Mufradat)	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
(ii)	Ilmul Advia II (Murakkabat & Saidala)	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
(iii)	Ilmul Amraz & Sareeriyat	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
(iv)	Hifzan-e-Sehat (Tahaffuzi-vo-Samaji Tib)	Two	(Paper A	100	One	100
			Paper B	100		
(v)	Ilmul Saidana & Tibb-e-Qanooni	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
				1000		500

(c)	IIIrd Professional Course	Theory Papers		Marks	Practical Viva	Marks
(i)	Moalijat I	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
(ii)	Moaljat II	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
(iii)	Jarahiyat	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
(iv)	Amraz-e-Ain-	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
(v)	Ilmul Qabala Uzn-Anaf-Halaq	Two	(Paper A	100	One	100
			(Paper B	100		
				1000		500

N.B. Each Theory Paper shall be of 3 hours duration.

NOTE : Distribution of subjects and papers in IIIrd Professional Exams.

Moalijat I Paper A will contain Hummiyat

Moalijat I Paper B will contain Amraz-e-Ras

Moalijat II Paper A will contain Amraz Sadra-e-Riya and Amraz-e-Amma

Moaljat II Paper B will contain Amraz-e-Hazam upto Aza-e-Boul-o-Tanasul

Jarahat Paper A will contain Jarahat-e-Amma (General Surgery)

Jarahat Paper B will contain Jarahat-e-Makhsoosi (Special Surgery)

Amraz-e-Ain Uzn Anaf Halaq paper A will contain Amraz-e-Ain.

Paper B will contain Amraz Uzn Anaf Halaq Asnah (E. N. T.) Ilmul Qabala and Amraz Niswan Atfal paper A will contain Ilmul-Qabala Amraz Nau Maulud and Paper B will contain Amraz-e-Niswan-e-Atfal

NOTE : The students of IIIrd Professional Course will be posted for 09 months in Indoor and outdoor of Moalijat department and will record atleast 20 cases each in Moalijat I and II respectively. They will be posted for 03 months in Jarhat department and will record 20 cases. Similarly they will be posted for 03 months in the department of Amraz-e-Ain Uzn Anaf Halaq and will record 20 cases. In the department of Ilmul Qabala Niswan Atfal, they will be posted for three months and will be record 20 cases.

(3) INTERNSHIP : After passing the III Professional Exam, each student shall be posted for rotatory internship in a recognised institution/hospital for 05 months in the department of Moalijat 02 months in the department of Hifzan-e-Sehat, Tahaffuzi Samaji Tibb (SPM), 02 months in the department of Surgery, 01 month in the department

of Amraz-e-Ain Uzn Anaf Halaq and 02 months in the department of Ilmul Qabala Niswan Atfal.

(4) APPEARANCE IN EXAMINATIONS :

(a) First Professional Examination will be held at the end of the teaching & practicals for 18 months.

The academic session of the first Professional Course will start from 1st day of July and end in December next year. The examination shall ordinarily be held during the month of November/December. The subsequent 1st Professional examination will be held every six months. Candidates shall be allowed 3 successive opportunities in order to pass the 1st Professional Examination. However, a student failed in not more than two subjects other than Tashrihul Badan Munafe-ul-Aza and Umoor-e-Tabiya of 1st Professional Examination may be allowed to keep term in IInd Professional Course. Only those students who passed in all subjects in Ist and IInd Professional Exams. shall be allowed to take on the IIIrd Professional Course.

(b) A candidate who remains failed in one or two subjects in the Examination shall be eligible to appear in that subject/subjects in subsequent first Professional Examination

(c) Candidate who fail to pass the Ist Professional Examination in three opportunities shall not be allowed to continue their studies. However, in case of personal illness of a serious nature of a candidate and in unavoidable condition/circumstances the University may permit one or more opportunity for passing the Ist Professional Course.

Those who remain failed in one or more subjects in the examination shall be eligible to appear in the subsequent Second Professional examination which may be held every six month. Only those students who passed in all subjects, shall be allowed to take on the IIIrd Professional Course.

(d) The IInd Professional Examination will be held at the end of 3 years and shall start in January following the first Professional Examination. The examination shall be held ordinarily in April/May of year after the completion of 3 years

(e) The final professional examination will be held after passing the Ist and IInd Professional Examinations at the end of 18 months of IIIrd Professional Course.

(f) If a candidate remains failed in one or more subjects in Final Professional Examination he/She shall be eligible to appear in those subjects in subsequent IIIrd Professional examinations which will be held every 6th month.

(5) PASS MARKS :

The pass marks shall be 50 percent in practical and or Viva voice and theory separately. 80 percent and above marks in a subject will indicate distinction in the subject.

(6) CLASSIFICATION OF RESULTS :

The classification of division will be on the basis of aggregate of Ist. IInd and IIIrd Professional examination provided they pass in first attempt.

1st Division 75% or above in the aggregate.

2nd Division 50% or above in the aggregate

Distinction 80% or above in the subject.

QUALIFICATION PRESCRIBED FOR TEACHING STAFF

QUALIFICATION OF TEACHERS

ESSENTIAL

(i) Degree/Diploma in Unani Medicine from a University established by law or a statutory Board/Faculty/Examining Body of Indian Medicine or equivalent and included in IInd Schedule of the Act.

(ii) Teaching experience in a recognised institution for ten years, five years & three years for the post of Professor, Reader, and Senior Lecturer respectively in the respective discipline. No teaching experience is required for the post of Lecturer.

II. DESIRABLE

Post-graduate qualification in Unani from a recognised institution/University established by law.

Oirginal published papers/books on the subject.

(b) For subejcts of Basic Sciences

M. Sc. first or second class in a respective subject.

(c) For the subject of Arabic and Mantiq-o-Falsafa

Fazil in Arabic or equivalent Exam approved by the CCIM.

(d) For English

M. A. first or second class in English.

NOTE : for Sciences subjects, Arabic, Mantiq-o-Falsafa & English there shall be the provision of lectureship only.

6. QUALIFICATIONS FOR THE POST OF PRINCIPAL OF UNANI TIBBI COLLEGES

(I) ESSENTIAL

(i) First class or good second class degree or diploma from an institution which is recognised under IMCC Act, 1970.

(ii) Teaching experience of atleast 10 years.

(II) DESIRABLE

(i) At least five years administrative experience.

(ii) Post-graduate qualifications in Unani Tib.

(iii) Original published work in any subject or the Unani Tib.

(iv) Good knowledge of Arabic/Persian and English.

NOTE : Head of the Institution/Head of the Department should essentially hold degree/experience in Unani Tibb.

(III) PAY SCALE OF TEACHING STAFF

Scale of pay of teaching staff of Unani Colleges should not be less than the scale of pay prescribed by the University Grants Commission.

7. QUALIFICATION PRESCRIBED FOR TEACHING STAFF OF POST-GRADUATE DEPARTMENT IN UNANI MEDICINE

FOR MEDICAL SUBJECTS

ESSENTIAL

(i) Degree/Diploma in Unani Medicine from a University established by law or a Statutory Board/Faculty/Examining Body of Indian Medicine of equivalent and included in IInd Schedule of Indian Medicine Central Council Act, 1970.

(ii) Teaching experience in a recognised institution for ten years, five years and three years for the post of Professor, Reader and Sr. Lecturer respectively in the respective discipline.

(iii) Post-graduate qualification in the discipline from the recognise institution/University established by Law.

(iv) Original pubilshed papers/books on the subjects.

NOTE : In case of those disciplines in which Post-graduate education has not been started and candidates are not available, the compensation shall be made by the enhancement in the teaching experience as elaborated under :

13 years for Professor, 8 years for reader and 6 years for Sr. Lecturer in the subject concerned shall be essentially required.

LIST OF ORIENTAL QUALIFICATIONS IN ARABIC/ PERSAN EQUIVALENT TO HIGHER SECONDARY/ INTERMEDIATE/OR 12TH STANDARD FOR THE PURPOSE OF ADMISSION TO THE UNANI DEGREE COURSE

S. No., AWARDED & QUALIFICATION

1. Lucknow University—Fazil-e-Adab (Arabic) with English

 Lucknow University—Fazil-e-Tofsir

2. Nadvatul-Ulma (Lucknow)—Fazil-e-Tofsir
3. Darul-Uloom Nadva (Lucknow)—Fazil
4. Darul-Uloom Deoband—Fazil
5. Banaras Hindu University (Varanasi)—Fazil
6. Al-Jamaeatul Salafiah, (Varanasi)—Fazil
7. Board of Arabic and Persian, Examination U. P. Allahabad—Fazil in Arabic
8. Madrasai Faize Am Mau Nath Bhanjan Azamgarh (U. P.)—Fazil
9. Darul Hadees Mau Nath Bhanjan Azamgarh (U.P.) —Fazil
10. Jameatul Falah Bilariya Ganj Azamgarh (U.P.)—Fazil
11. Darul Uloom Ahle Sunnat Madrasai Ashrafia Misbahul Uloom Mubarakpur, Azamgarh—Fazil
12. Madrasai Sirajul Uloom Bondhiyar Distt. Gonda U.P.—Fazil
13. Barul Kuda Yusuf Pur, Distt. Basti (U.P.)—Fazil
14. Jamia Farooquia Sabrahad Via Shahganj Distt., Jaunpur (U.P.)—Fazil
15. Darul Uloom Arabic College Meerut City (U.P.)—Fazil
16. Mazsherul Uloom Saharanpur (U.P.)—Fazil
17. Government Madrasai Aila, Rampur—Fazil
18. Jamia Islamia Almahad Okhla, New Delhi.—Fazil.

Sd/- (ILLEGIBLE)
Secretary
Central Council of Indian Medicine.

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद द्वारा मुद्रित
एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 1996
PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD,
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1996